पी.ई.के.बी. व परसा कोल ब्लॉक से अविलंब खनन शुरू करने की मांग

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केन्द्रीय कोयला मंत्री ने हरसंभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया

जयपुर, (का.सं.)। प्रदेश के बिजलीघरों में कोयले की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान केन्द्रीय कोयला मंत्री ने प्रदेश की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर अतिरिक्त कोयला आवंटन के लिए हरसंभव सहयोग करने के लिए आश्वस्त किया। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करके परसा कोल ब्लॉक से खनन करने में आ रही दिक्कतों का शीघ्र समाधान निकालने के लिए भी आश्वस्त किया।

- इसके प्रारंभ होने तक कोल इंडिया लि. से अतिरिक्त कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कोयला मंत्री का ध्यान राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम (आरवीयूएन) के बिजलीघरों में कोयले की आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि रबी सीजन के कारण राज्य में बिजली की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए उत्पादन निगम को प्रतिदिन 23 कोल रैक की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में कोल इंडिया लिमिटेड से औसतन 16.5 रैक प्रतिदिन की ही आपूर्ति हो पा रही है। इससे विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

शर्मा ने केन्द्रीय कोयला मंत्री से परसा ईस्ट एवं कांता बेसिन (पी.ई.के.बी.) तथा परसा कोल ब्लॉक से खनन अविलंब प्रारंभ करने तथा यह खनन प्रारंभ होने तक कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले की मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को खाली रैक्स की अतिरिक्त व्यवस्था तथा रैक डायवर्जन कराने के लिए केन्द्रीय कोयला मंत्रालय के माध्यम से रेल मंत्रालय के स्तर पर समन्वय करने का भी आग्रह किया। बैठक में केंद्रीय कोयला मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव विस्मिता तेज, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता तथा ऊर्जा विकास निगम के एमडी एम. एम. रिणवा भी मौजूद रहे।

वकीलों की समस्याओं के निपटारे के लिए कमेटी गठित

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने वकीलों की समस्याओं के लिए विवाद निस्तारण कमेटी का गठन किया है। वकील अब अपनी समस्या के निस्तारण के लिए आंदोलन या हडताल आदि करने से पहले इस कमेटी के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से गठित इस छह सदस्यीय कमेटी में मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस इन्द्रजीत सिंह को शामिल किया गया है। जबकि वकीलों के प्रतिनिधि के तौर पर महाधिवक्ता, बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को शामिल किया गया है।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की समस्याओं से जुडे एक मामले में व्यवस्था दी थी कि हर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक विवाद निस्तारण कमेटी बनाई जाए। वकील अपनी समस्याओं के लिए आंदोलन करने से पूर्व इस कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कमेटी गठन के लिए एसोसिएशन की ओर से गत दिनों हाईकोर्ट प्रशासन को पत्र लिखा गया था। बार अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया की वकीलों से जुडी कई समस्याएं हैं। नए वकीलों के बैठने के लिए चैंबर की अपर्याप्त संख्या है। चैंबर आवंटन के नियमों के तहत तीन साल की वकालत और तीस मुकदमों में पैरवी कर चुका अधिवक्ता चैंबर के लिए हकदार होगा। इसके बावजूद नए वकीलों को चैंबर नहीं मिले हैं। इसके अलावा वाहन खडा करने के लिए भी वकीलों को रोजाना परेशानी का सामना करना पडता है। कई बार वकीलों को वाहन खडा करने की जगह नहीं मिलती और दूसरी तरफ अदालत में उसके मुकदमें का नंबर निकल जाता है।

दिया कुमारी ने गुरु गोबिंद सिंह की ऐतिहासिक तलवार की पूजा की

सिक्खों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र चौक में गुरु जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस में विराजमान गुरु जी की ऐतिहासिक तलवार की भी पूजा-अर्चना की।

जयपुर, (का.सं.)। सिक्खों के 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र चौक में गुरु जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने जयपुर के सिटी पैलेस में विराजमान गुरु जी की ऐतिहासिक तलवार की भी पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी का त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथा हम सबको सदैव प्रेरित करती रहेंगी। इसके बाद शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। एमएसएमएस संग्रहालय की कार्यकारी ट्रस्टी रमा दत्त और सिटी पैलेस, कला एवं संस्कृति, ओएसडी, रामू रामदेव भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

गुरू गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर यह तलवार सिटी पैलेस के सर्वतोभद्र चौक में आगंतुकों, पर्यटकों और आमजन के दर्शन के लिए रखी गई है। गौरतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ समय नाहन (सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश) में व्यतीत किया था। तब नाहन छोड़ते समय उन्होंने अपनी निजी तलवार तत्कालीन शासक को स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की थी। राजमाता पद्मिनी देवी, जो कि नाहन से हैं, कुछ वर्ष पहले तलवार को जयपुर लेकर आई थीं। तब से इस तलवार की सिटी पैलेस में नित्य पूजा-अर्चना की जाती है।

अशोक कजारिया, सुरेन्द्र सिंह शेखावत व अक्षय हाडा फिक्की के सदस्य बने

जयपुर, (का.सं.)। फैडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने उसके राजस्थान स्टेट काउंसिल के लिये तीन सदस्यों का चयन किया है। फिक्की की राजस्थान स्टेट काउंसिल में कजारियस सिरेमिक लिमिटेड के अध्यक्ष अशोक कजारिया, शाहपुरा होटल्स एंड रिजोर्ट्स के मालिक सुरेन्द्र सिंह शेखावत और अक्षय इन्फ्रासिस इंडस्ट्रीज़ प्राईवेज लिमिटेड के प्रबंधकीय निदेशक अक्षय हाडा को सदस्य बनाया है। इस काउंसिल में अशोक कजारिया को अध्यक्ष का पद और सुरेन्द्र सिंह शेखावत व अक्षय हाडा को सह अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है।

फिक्की के सह अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह शेखावत

इस समिति की पहली बैठक 25 जनवरी 2024 को आयोजित की जायेगी और 30 जनवरी 2024 तक यह समिति तीन से पांच ऐसे लक्ष्य निर्धारित करेगी जिसे उसे एक वर्ष में ही पूर्ण करना होगा। उल्लेखनीय है कि फिक्की की 97 एन्युअल जनरल मीटिंग 21-22 नवम्बर 2024 को आयोजित की जायेगी जिसमें राजस्थान की काउंसिल भी भाग लेगी। जैसा कि विदित है कि फिक्की भारत में व्यवसायियों और उद्योगपतियों द्वारा बनाई गई एक निर्भीक संस्था है, जो उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान करती है। इस संस्था के साथ ढाई लाख उद्योगपति जुड़े हुए है। इस संस्था का गठन 1927 को हुआ था।

'भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का कोई सानी नहीं'

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज (शक्ति वंदन-महिला स्वंय सहायता समूह एवं एनजीओ संपर्क अभियान) की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के (एनआरएलएम) सत्र को संबोधित करते हुए कृषि एंव ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में दो करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का लक्ष्य दिया है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजस्थान लखपति दीदी योजना में देश में सबसे अव्वल रहे इसके लिए हम सभी को संयुक्त प्रयास करने होंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत का कोई सानी नहीं है। रेत से सोना निकालना प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का संकल्प होना चाहिए।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के में कई राज्यों में भारी भीड़ उमड़ी

जयपुर, (का.सं.)। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने केवल दो महीनों में, भारत को वशीभूत कर दिया है, जिसमें 15 करोड़ से अधिक उत्साही प्रतिभागी शामिल हुए हैं। लोगों की यह विशाल भागीदारी एक उन्नतिशील और समावेशी भारत की दिशा में संगठित मार्ग बनाने के लिए यात्रा की तीव्रता के बारे में बहुत कुछ बताती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में सरकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत परिपूर्णता सुनिश्चित करना है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में अभियान शुरू होने के बाद लोगों की भागीदारी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जहां चौथे सप्ताह के अंत में 13 दिसम्बर, 2023 को यात्रा 2.06 करोड़ लोगों तक पहुंची थी, वहीं पांचवें सप्ताह के अंत में 22 दिसम्बर, 2023 को यह संख्या बढ़कर 5 करोड़ हो गई। अगले चार हफ्तों में, यात्रा में 10 करोड़ लोग शामिल हुए जिससे इसने 15 करोड़ प्रतिभागियों का आंकडा पार कर लिया। 17 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा डैशबोर्ड में 15.34 करोड़ प्रतिभागियों ने 2.21 लाख ग्राम पंचायतों और 9,541 शहरी स्थानों को कवर किया।

17 जनवरी 2023 तक स्वास्थ्य शिविरों में 4 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है।

जीतना है तो सभी को साथ रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है : रजनी पाटिल

कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बोली, "तय मापदंड के अनुसार होगा उम्मीदवारों का चयन"

- रंधावा ने फिर जिताऊ उम्मीदवारों की चर्चा की, जैसे कि विधानसभा चुनाव में उतारे थे
- डोटासरा का दावा कि लोकसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी

जयपुर, (का.प्र.)। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत आज जयपुर में फीडबैक कार्यक्रम रखा। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल के साथ ही सदस्य परगट सिंह और कृष्णा अल्लावरु ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 25 लोकसभा सीटों के दावेदारों सहित अन्य नेताओं और विधायकों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा की।

इस मौके पर राजस्थान में सभी नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात पर रजनी पाटिल ने मीडिया से कहा कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है, वरना कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। ऐसे में लोकसभा जीतनी है तो सभी नेताओं को मिलकर ही चुनाव लड़ना होगा। राजस्थान में उम्मीदवार तय करने की बात पर रजनी पाटिल ने कहा कि अभी यह जल्दी है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं और बाद में जो भी मापदंड तय होंगे, उसके अनुरूप उम्मीदवार तय किए जाएंगे।

राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने लोकसभा चुनावों में विधायकों को बड़ी संख्या में टिकट देने के संकेत देते हुए कहा कि अगर बीजेपी वाले सांसद को लाकर विधानसभा में हरवा सकते हैं। तो कांग्रेस के पास जीते हुए विधायक हैं, जो जीत सकते हैं। हम उन विधायकों को क्यों नहीं उतार सकते। कैंडिडेट्स में विनेबिलिटी और कांग्रेस का डीएनए देखा जाएगा। रंधावा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम यूथ लीडर्स को ग्रूम करेंगे। इस बार फोकस यूथ पर रहेगा। हम यूथ और पुराने नेताओं का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जल्दी इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनाएंगे। जिला स्तर पर तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रीकरणपुर के इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर वहां से जीते। 15 दिन बाद ही एक ऐसा मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, जो अग्निवीर बन गया। बिना पेंशन और बंदूक के ही वापस आ गया। जब उन्हें लड़ाई में जाने का मौका मिला तो बुरी तरह हार कर आए। इससे राजस्थान ने अपना करेक्टर दिखाया है कि यहां की जनता ऐसे फैसले पसंद नहीं करती। राममंदिर के मुद्दे पर रंधावा ने कहा कि हमारे गुरु की शरण में जो आया उसे माफ किया। उन्होंने औरंगजेब को भी माफ कर दिया। धर्म के नीचे सियासत होनी चाहिए, भाजपा राजनीति के नीचे धर्म को लेकर आ गई है। वे कहते हैं राम मंदिर हम जाएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं क्या राम इनके हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में राम 5000 बार लिखा है। ऐसे में क्या यह हमें सिखाएंगे? जब मंदिर बन जाएगा, मूर्ति की प्रतिष्ठा हो जाएगी तब हम राम मंदिर जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम योजना बंद नहीं करेंगे, लेकिन अब वे हमारी योजनाओं को लागू नहीं कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी भारी संख्या में जीतकर जाएंगे। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार पर्ची सरकार है और अब तो घनश्याम तिवाड़ी ने भी कह दिया है कि यह पर्ची से बनी हुई सरकार है। अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि ऊपर से जो पर्ची आई उसके आधार पर यह सरकार बनी।

डोटासरा ने कहा कि राजीव गांधी युवा मित्र को निकालने और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चिरंजीवी योजना को फर्जी बताने सहित करीब 50 केस मेरे संज्ञान में है। यदि मंत्री मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं बता सकता हूं कि कितने लोगों को राहत मिली है। वे हमारी अच्छी योजनाओं को बदनाम कर अपनी चमक दिखाना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करेंगे।

कोविड के वैरिएंट ऑमीक्रोन जेएन-1 के स्पाइक प्रोटीन पर होगा अनुसंधान : आचार्य बालकृष्ण

हरिद्वार/जयपुर(का.सं.)। बीते कोरोना काल में जहाँ सम्पूर्ण विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, वहीं पतंजलि रिसर्च पफाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने सतत् अनुसंधान से कोरोनिल का अविष्कार कर करोना के क्रूर पंजों से हजारों जीवन बचाये थे तथा मानव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के इतिहास में आयुर्वेद का परचम लहराया था। अब करोना के नये वैरिएंट पर अनुसंधन करने हेतु चीन की साइनो बॉयोलॉजिकल लैब से स्पाइक प्रोटीन मंगाया गया है, जिस पर पतंजलि अनुसंधन संस्थान के वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे।

वर्तमान में करोना का नया वैरिएंट ऑमीक्रोन जेएन-1 पुनः सम्पूर्ण विश्व में अपने पैर पसार रहा है। करोना चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने के क्रम में पतंजलि अनुसंधन संस्थान द्वारा चीन की साइनो बॉयोलॉजिकल लैब से मंगाये गये स्पाइक प्रोटीन पर नवीन अनुसंधन कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि जिस तरह से करोना ने भयावह तथा विकराल रूप से सम्पूर्ण विश्व को भयभीत किया तथा अत्यध्कि पीड़ा पहुँचायी अब उसी का नया वैरिएंट ऑमीक्रोन जेएन-1 देश-विदेश में फैल रहा है। इस वायरस से होने वाले रोग की चिकित्सा हेतु जो अनुसंधान करना है उसके लिए वायरस के स्पाइक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और हमें गर्व है कि पतंजलि अनुसंधन संस्थान वह पहली संस्था है जहाँ ऑमीक्रोन जेएन-1 वायरस का स्पाइक प्रोटीन चीन की साइनो बॉयोलॉजिकल लैब से पहुँच चुका है।

- चीन की साइनो बॉयोलॉजिकल लैब से मंगाया गया ऑमीक्रोन जेएन-1 का स्पाइक प्रोटीन

यह वायरस बहुत खतरनाक है परन्तु उसकी स्पाइक प्रोटीन पर कार्य करके ही उसका समाधान पाया जा सकता है। सबसे अधिक प्रयास स्पाइक प्रोटीन को बचाने का करना पड़ता है क्योंकि यह बहुत दूर चीन से मंगाया गया है। इसे मंगाने के लिए हमें काफी परिश्रम और सम्पर्क करना पड़ा, बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद लगभग डेढ़ माह बाद यह स्पाइक प्रोटीन हमें मिल पाया है जो हमारे वैज्ञानिकों को काफी उत्साह और प्रेरणा देने वाला है।

इस ओमीक्रॉन जेएन-1 वायरस का स्पाइक प्रोटीन पर अनुसंधन कर हम सम्पूर्ण विश्व को पुनः यह दिखायेंगे कि पतंजलि किस प्रकार से आयुर्वेदिक औषधियों पर अनुसंधन कर उनका निर्माण करता है तथा मॉडर्न मेडिकल सांइस के जो स्टैण्डर्ड तथा पैरामीटर्स है उन पर योग व आयुर्वेद को पुनः स्थापित करने का कार्य पतंजलि कर रहा है। हमारे पास विश्व के आधुनिकतम अनुसंधन लैब, उपकरण तथा एक्सपर्ट सांइटिस्ट की टीम उपलब्ध है। पतंजलि एक विश्वास का नाम है तथा करोड़ो लोगों का भरोसा पतंजलि के साथ जुड़ा हुआ है। पतंजलि वैज्ञानिक अनुसंधन तथा उसके उच्च स्तरीय मापदण्डों के साथ कोई समझौता नहीं करता।

पतंजलि अनुसंधन संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. अनुराग वार्ष्णेय ने कहा कि ओमीक्रॉन जेएन-1 वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर कोरोनिल के इस्तेमाल से इन्फेक्शन कन्ट्रोल का ट्रॉयल किया जायेगा, जिसके परिणाम वायरस कन्ट्रोल के क्षेत्रा में नये आयाम स्थापित करेंगे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

खोया पाया

मेरे आवास संख्या-160/46 प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र कहीं गिर/गुम गया है मिलने पर सूचित करें। मनीष-9828574663

गुमशुदा की तलाश

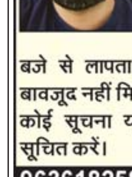

भाग्यशाली मीना पुत्र रामकिशन उम्र- 40 वर्ष, रंग गौरा, कद 6 फीट, रेल्वेकर्मी मानसिक अस्वस्थता की दशा में 6/3/2023, शाम 6.00 बजे से लापता है। पुलिस रिपोर्ट के बावजूद नहीं मिल रहे है यदि किसी को कोई सूचना या जानकारी मिलें तो सूचित करें।

9636182581, 8854098846

नाम परिवर्तन

मैंने मेरा नाम नरेन्द्र कुमार फलोर से बदलकर नरेन्द्र फलोर रख लिया है भविष्य में मुझे नरेन्द्र फलोर (Narendra Falor) पुत्र स्व. श्री हरीराम फलोर के नाम से जाना जावें। पता-3/90 विद्याधर नगर, जयपुर

मेरा नाम शकुंतला था। अब मैंने बदलकर शकुंतला कंवर पत्नी रघुवीर सिंह रख लिया है। भविष्य में मुझे शकुंतला कंवर के नाम से जाना जावें। पता-हाऊस नं. 56, टोंक रोड सांघी फार्म के सामने कैलाशपुरी दुर्गापुरा, जयपुर

मैं पूजा शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा पत्नी कमलेश शर्मा उम्र 31 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी जाटों की ढाणी 2, दहमी खुर्द, बगरू, तहसील सांगानेर जो कि मेरा शुद्ध नाम पूजा शर्मा है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

मै धर्मचन्द दायमा पुत्र लक्ष्मण राम खटीक किशनगढ़ रेनवाल जयपुर राजस्थान का हूँ। मेरे आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में धर्मचन्द दायमा पुत्र लक्ष्मण राम खटीक है, और मेरे पासपोर्ट में धर्मचन्द खटीक पुत्र लक्ष्मण लाल खटीक हैं। यह दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं अतः मुझे दोनों नामों से ही पहचाना जावें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाके महानगर जयपुर तहसील सांगानेर, ग्राम खो-नागोरियान में कृषि भूमि खसरा नम्बर 2492 रकबा 0.3300 हैक्टेयर 2506 रकबा 0.5800 हैक्टेयर 2510 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 5 खसरा नम्बर का कुल रकबा 1.83 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि (1) श्री अब्दुल रशीद, अब्दुल रऊफ, अब्दुल हफीज, अब्दुल रहमान पुत्रान अब्दुल मजीद, निवासीगण-मकान नम्बर 2142 छपरबंदो का मोहल्ला, घाटगेट जयपुर के नाम दर्ज है जो संयुक्त रूप से मालिक स्वामी एवं काबिज है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में जून 2018 में एक इकरारनामा मुदस्सर पुत्र हाजी मोईनुद्दीन कुरैशी के हक में निष्पादित किया था जिसे निरस्त कर दिया है तथा श्री मुदस्सर पुत्र हाजी मोईनुद्दीन कुरैशी को दिनांक 21.12.2023 को इकरारनामा जून 2018 को निरस्त का नोटिस भी भेज दिया है अगर कोई दीगर व्यक्ति उक्त कृषि को अपनी बताकर अन्य किसी को भी हस्तान्तरित, बख्शीश, रहन, विक्रय आदि ना करें ना ही अन्य कोई व्यक्ति खरीदें। अन्यथा स्वयं जिम्मेदार होगा।
जयपुर (मुजीब उर रहमान एडवोकेट)
दिनांक-17.01.2024 मो.नं. 9587860191

आम सूचना यह कि मेरे अभिभाष्यगण आमिना खांन पत्नी श्री इस्लाम खांन उम्र 60 साल एवम इस्लाम खांन पुत्र चांद खांन उम्र 62 साल निवासीयान बी 579 भट्टा बस्ती शास्त्री नगर जयपुर (राज) ने अपनी पुत्री रूबिया खांन जो कि मेरे अभिभाष्यगण के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती ना ही मेरे अभिभाष्यगण के कहने में है इसलिये मेरे अभिभाष्यगण ने अपनी चल व अचल सम्पत्ति तथा पुरे भारत वर्ष में स्थित स्वयं की चल व अचल सम्पत्ति बैंक खाते इत्यादि से अपनी पुत्री रूबिया खांन को बेदखल (निष्काषित) कर दिया है तथा आज के पश्चात उक्त रूबिया खांन से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी तथा रूबिया खांन का मेरे अभिभाष्यगण की चल व अचल सम्पत्ति मे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नही होगा एवम रूबिया खांन किसी भी न्यायालय में मेरे अभिभाष्यगण की चल व अचल सम्पत्ति बैंक खाते के हक व अधिकार हेतु दावा करती है तो वह स्वतः ही झूठा समझा जावेगा। जिसकी सूचना हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया है। सूचित रहे।
तालिब कुरैशी, एडवोकेट. मो.-9929993399

आम सूचना: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नम्बर ए-13, योजना हाथोज (करधनी) विस्तार ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, तहसील व जिला जयपुर बाबत् जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा श्री धर्मेन्द्र मिश्रा पुत्र स्व. श्री पी. डी. मिश्रा के हक में आवंटन पत्र क्रमांकः एफ-10(ए-13) जेडीए/जोन-11-बी/हाथोज/2004/400 दिनांक 05.07.2004 को जारी किया गया था। यह कि उक्त मूल आवंटन पत्र कहीं गुम हो गया/गिर गया है, जिसके बाबत् एक गुमशुदगी रिपोर्ट राजस्थान पुलिस एल.आर.नम्बर 2037919/2024 दिनांक 02.01.2024 को दर्ज करवा रखी है। यह कि मेरे अभिभाष्यगण श्री जयदीप मीणा पुत्र श्री गोपाल लाल मीणा एवं सुश्री यशप्रिया मीणा पुत्री श्री कैलाश चन्द्र मीणा उक्त सम्पत्ति पर भारतीय स्टेट बैंक, जयपुर से लोन प्राप्त कर लिया है। यदि किसी व्यक्ति, बैंक व अन्य किसी को उक्त मूल आवंटन पत्र किसी को मिले या किसी प्रकार की कोई भी आपति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपति प्रस्तुत करें। बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार की कोई आपति मान्य नहीं होगी। भवदीय- रमेश कुमार शर्मा (एडवोकेट) सी-246, मालवीय नगर, जयपुर, राज मो. 9950995598

न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. क्रम-17, सांगानेर जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर
मुकदमा नंबर 728/2023
इमरान खान व अन्य बनाम अमर नाथ गृह निर्माण सह. समिति व अन्य
नोटिस अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सीपीसी
वादीगण ने वैलकमसिटी आवासीय योजना गोनेर रोड, खो नागोरियान में दुकान नम्बर-2 क्रय की थी। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवासीय योजना हकोलोजीकल जोन से बिना वन विभाग, बिजली विभाग, जेडीए एवं राज्य सरकार की अनुमति के विकसित की है, जो कि गैरकानूनी व विधि विरूद्ध है। जिसके बाबत वादीगण द्वारा प्रतिनिधित्व वाद प्रस्तुत किया जिस कारण सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति उक्त वाद में पक्षकार बनना चाहता है जो वह आगामी तारीख पेशी 20.01.2024 को प्रातः 10.30 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर पक्षकार के रूप में संयोजित हो सकते है। भविष्य में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक-17.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।
हस्ताक्षर न्यायाधीश
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम.17
मोहर अदालत जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर

सार्वजनिक नोटिस
यह सार्वजनिक सूचना दी गई है कि हमारी कंपनी अर्थात् आर्के इंटरनेशनल फिनसेक लिमिटेड सीआईएन नं. U61720RJ1995PLC010776 और पंजीकृत कार्यालय कमरा नंबर 123, पहली मंजिल, जेएसईएल बिल्डिंग मालवीय नगर जयपुर-17 (राजस्थान)। हमने कंपनी के नाम पर आरबीआई द्वारा जारी एनबीएफसी पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) संख्या 10.00021 वर्ष 2004 की मूल प्रति खो दी है। इसकी एफआईआर दिनांक 23.12.2023 को ऑनलाइन प्रोसेस जयपुर क्रमांक 2029133/2023 पर दर्ज कराई गई है।
उपरोक्त नोटिस जनता के पंजीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने के संबंध में दिया जा रहा है और अनुरोध किया गया है कि यदि यह पाया जाए तो इसे कंपनी को वापस कर दिया जाए, पंजीकृत कार्यालय में या भारतीय रिज़र्व बैंक, डीओएस टोंक रोड, जयपुर को भेजा जाए और साथ ही यह भी अनुरोध किया जाए कि बेईमान तत्वों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना कंपनी द्वारा जारी की जा रही है।
पंजीकृत कार्यालय: कमरा नंबर 123, पहली मंजिल जेएसईएल बिल्डिंग, मालवीय नगर जयपुर-17 (राजस्थान)
ई-मेल: arkaylimited@yahoo.com
संपर्क नंबर: +91-94140-54971

94
14.12.23
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, क्रम संख्या 1, जयपुर महानगर द्वितीय, जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
विरूद्ध
स्नेहा भारद्वाज एवं अन्य
वाद बाबत वसूली 3,70,418.00 रूपये
वाद संख्या 59 सन् 2021
बनामः 1. स्नेहा भारद्वाज पुत्री श्री शशिकान्त भारद्वाज, निवासी मकान संख्या- 13, कृष्णा नगर कॉलोनी, तीन दुकान, देहर के बालाजी, सीकर रोड, जयपुर-302039
वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 29 माह जनवरी सन् 2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हों तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद तारीख 13 माह 12 सन् 2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
सील न्यायाधीश
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-01, जयपुर महानगर द्वितीय

आम सूचना संपरिवर्तन आदेश क्र.सं. 238-245 दिनांक 10.01.2020 को तहसीलदार महोदय लवाण द्वारा श्री अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री पुनीलाल सैनी के पक्ष में 587.84 वर्गमीटर आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि का जारी किया गया था। उक्त रूपान्तरित भूमि को श्रीमती पूनी देवी पत्नि श्री सीताराम सैनी को बेचान कर दिया गया। उक्त मूल संपरिवर्तन आदेश क्र.सं. 238-245 दिनांक 10.01.2020 श्रीमती पूनी देवी द्वारा कहीं गुम हो गया है। किसी खास ओ आम या व्यक्ति विशेष को उक्त संपरिवर्तन आदेश मिल जावे तो मो.नं. 94144-94445 पर 07 दिवस के भीतर सूचित करें।
दिनेश जोशी, एडवोकेट दौसा मा.नं. 94144-94445

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 10/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि शंकर लाल जांगिड पुत्र श्री जवाना राम जांगिड निवासी 64 लक्ष्मी कॉलोनी नया खेड़ा अम्बाबाड़ी जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत श्री ओमकारेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति प्लॉट नं. 69 लक्ष्मी कॉलोनी नया खेड़ा अम्बाबाड़ी जयपुर सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 12.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 18.03.2024
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
मोहर अदालत सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

D.No.13
16.01.24
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
विरूद्ध
नमित मेहता
वाद बाबत वसूली 7,79,053.19 रूपये
वाद संख्या 12 सन् 2023
बनामः 1. नमित मेहता पुत्र श्री रमेश चन्द मेहता, निवासीः फ्लैट नं 601, मकान संख्या एस.बी. 161, पर्ल मेधम, महात्मा गांधी रोड़, बापू नगर, जयपुर 302015 एवं केयर ऑफ ग्रीन फील्ड लैण्ड डेवलपर्स एण्ड पिंक टर्बन, मकान संख्या 15, उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर 302015 एवं केयर ऑफ ग्रीन फील्ड लैण्ड डेवलपर्स एस 1,बी 7,मदान मेन्शन गोबिन्द मार्ग, राजा पार्क, जयपुर 302004
वादी ने आपके विरूद्ध वसूली के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 13 माह मार्च सन् 2024 को दिन में 10.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में हैं पेश करें, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल / मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हों तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद तारीख 08 माह 01 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
सील वरिष्ठ रीडर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम सं-2 जयपुर महानगर प्रथम